

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय

उत्तर प्रदेश

विकास नगर, बनपुरा-206002

Visit us: <http://dte.up.nic.in>

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश
विकास नगर, बनपुरा-206002

Transfer-18-19 16

19/11/18
की/11/2018

—:: आदेश ::—

सम्बन्धित को विस्तारित अधिकारियों को उक्त नाम के सम्बन्धित अधिकारियों को सहायक प्रभार से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्यका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	उक्त उक्त स्थानान्तरित किया जाता है।	अनुसूचित
1	2	3	4	5
1.	सर्वश्री श्रीराम कुमार मुशील, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	छत्रपति शाहू जी महाराज राजकीय पालीटेक्निक, बनसपुर	राजकीय पालीटेक्निक, कोटाबाग, मधुप	स्वयं को अनुसूचित पर
2.	प्रकाश कुमार, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, कांशीपुर, बिजनौर	राजकीय पालीटेक्निक, जलसद, मुजफ्फरगढ़	जमाहित में
3.	विमल प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, कांशीपुर बिजनौर	राजकीय पालीटेक्निक, नुरोदाबाग	स्वयं को अनुसूचित पर
4.	राहुल प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, कांशीपुर, बिजनौर	राजकीय पालीटेक्निक, गाजियाबाद	स्वयं को अनुसूचित पर
5.	कविश कुमार, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, फाज, भोजपुर, नैनीपुरी	राजकीय पालीटेक्निक, पूरुडला, मिर्जापुर	स्वयं को अनुसूचित पर
6.	अशोक कुमार, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, अमतापुर, धरमपुरी	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ	स्वयं को अनुसूचित पर
7.	सुरेश कुमार, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़	राजकीय पालीटेक्निक, मिर्जापुर, अजमेरगढ़	स्वयं को अनुसूचित पर
8.	विमल, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, कांशीपुर	राजकीय पालीटेक्निक, कांशी	जमाहित में
9.	अशोक कुमार, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, कांशीपुर	छत्रपति शाहू जी महाराज राजकीय पालीटेक्निक, बनसपुर	प्रारंभिक पर
10.	सुरेश कुमार, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, मिर्जापुर	राजकीय पालीटेक्निक, मुजफ्फरगढ़, कांशीपुर	जमाहित में
11.	सुरेश प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, दरभंगा	राजकीय पालीटेक्निक, पूरुडला, मिर्जापुर	जमाहित में

उपरोक्त में 2 जिन कार्यों का स्थानान्तरण स्वयं को अनुसूचित पर है, उन्हें जिन कार्यों का कोई राधा-भरता आदि देना नहीं होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रशासकों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये जा रहे उपरोक्त संदर्भित कार्यों को प्रतिस्थापी की पदवी किये करीर-कार्यभार कवने, उन्हें को तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दें।

स्थानान्तरित कार्यों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका विस्तृत अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की दृष्टि में मान्य होगी। स्थानान्तरित कार्यों को स्थानान्तरण रोचने सम्बन्धी प्रत्येक को अनुसूचित न किये जाये और यदि उपरोक्त कार्यों इन आदेशों के विरुद्ध देकाय कालने का प्रयास करेगा, उसके दत्त

(Signature)

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश
विकास नगर, कानपुर-208002

Phone No. : 2582684
Fax No. : 2580965
Email : dir.primary@up.gov.in

Visit us: <http://dte.up.nic.in>

स्कूल/आवरण को सरकारी कर्मचारी आवरण नियमावली-1956 के विधम-77 का उल्लंघन करने वाले दुरुरे उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) विनियम-1999 के पुरांगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते दुरुरे निरोधन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यवाही न होने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का स्थगना भी किया जायेगा तथा उसकी रकम सम्बन्धित कोषाधिकारी को-टो की जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश द्वारा के पत्रांक-3/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक-29.03.2018, पत्रांक-4/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक-03.04.2018 एवं कागज के पत्रांक-569/रोलह-2-2018-7(ई)/2018, दिनांक-05.04.2018 से निहित अधिकारों प्रावधानों के परिपेक्ष में निर्गत किये जा रहे हैं।

(अवरुद्ध राजपत्र)
निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा, 208002

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

पुसं०- 9600-46
ई-2-सो-265, कानपुर : दिनांक 31/03/2018

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
1. जिला सचिव, मातृशाला संगी जी, प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
 2. जिला सचिव, मातृशाला राज्य अंकी, प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
 3. जिला सचिव, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राथमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
 4. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राथमिक शिक्षा, अनुभाग-2, विधान भवन, लखनऊ।
 5. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थाएं, 30300, कानपुर।
 6. जिला नियंत्रक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, 30300, कानपुर।
 7. संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, पश्चिमी क्षेत्र, रोहता (लेटर)काथर क्षेत्र, लखनऊ/पूरी क्षेत्र, बाराभासी/कुन्देलखण्ड क्षेत्र, पूर्वी।
 8. सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30300, लखनऊ।
 9. सचिव, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, 30300, लखनऊ।
 10. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 11. संबंधित संस्था प्रशासक/संस्थागत प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं, उत्तर प्रदेश को पुनः निर्देश के साथ कि वे अपनी संस्था से संबंधित कर्मियों को अविलम्ब कार्यवाही पर बर्तन हैलाने स्थान पर कार्यवाही अहम करने के निर्देश हैं तथा कूल कार्यवाही से निदेशालय को अविलम्ब सूचित करें।
 12. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संस्था प्रशासक/संस्थागत।
 13. प्रकाश सहायक (सेवा संग्रही), स्थापना अनुभाग।

(संकेत)
(सी०के० एम०)
उप निदेशक
मुख्य निदेशक, प्राथमिक शिक्षा,
30300, उत्तर प्रदेश।